

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कंकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 246 / 2022 (2022 / 651)

1. रतनी देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाट निवासी उगाई तहसील कंकड़ी जिला अजमेर।

—वादीया

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री कन्हैयालाल जाति कलाल निवासी सोनी कवाडी के सामने सावर रोड कंकड़ी
2. राजेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति कलाल
3. विनोद कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति कलाल
4. भवरी देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति कलाल
निवासीगण सांवरिया स्टोन के पीछे सापुन्दा रोड कंकड़ी जिला अजमेर
5. प्रेम देवी पत्नि अमोलकचन्द जैन जाति जैन
6. रेखा पत्नि सुशील कुमार पाटनी जाति जैन
निवासीगण शिव मन्दिर के पास सापुन्दा रोड कंकड़ी जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदया तहसील कंकड़ी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,209 राज.कारशतकारी अधिनियम

उपस्थित—

वादी वकील :- श्री नवलकिशोर पारीक


पैराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार कंकड़ी


आदेश

दिनांक 06/11/23

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,209 राज. कारशतकारी अधिनियम में वादवर्णित आराजीयात वाके करबा कंकड़ी तहसील कंकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069-72 जमाबन्दी 2076 से स्थायी के खाता संख्या नया पुराना 1859-1502 के खसरा नम्बर 2632 रकबा 0.38 हैक्ट. किस्म बरानी 1 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 06.12.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार कंकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार कंकड़ी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है—

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	रतनी देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति जाट सा. उगाई खातेदार	2632 / 1	0.2400	बा. 1
		किता 1	रकबा 0.2400 है०	
2	भवरी देवी पत्नि कन्हैयालाल, इन्द्रा, राजेन्द्र कुमार, विनोद कुमार पिता कन्हैयालाल जाति कलाल सा. देह खातेदार	2632 / 2	0.0135	बा. 1
		किता 1	रकबा 0.0135 है०	
3	प्रेम देवी पत्नि अमोलकचन्द जैन हि. 1/2, रेखा पत्नि सुशील कुमार पाटनी हि. 1/2 जाति जैन सा. देह खातेदार	2632 / 3	0.1265	बा. 1
		किता 1	रकबा 0.1235 है०	




उपखण्ड अधिकारी
कंकड़ी (अजमेर)


तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग-अलग रंग से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारान रतनी देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाट, राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल कलाल, रेखा पत्नि सुशील कुमार जैन मोके पर उपस्थित रहे जिन्होंने मौके पर बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझकर हस्ताक्षर किये है। वकील पक्षकारान को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। अतः तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादवर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किरम
1	रतनी देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति जाट सा. उगाई खातेदार	2632/1	0.2400	बा.1
		किता 1	रकबा 0.2400 है0	
2	भंवरी देवी पत्नि कन्हैयालाल, इन्द्रा, राजेन्द्र कुमार, विनोद कुमार पिता कन्हैयालाल जाति कलाल सा. देह खातेदार	2632/2	0.0135	बा.1
		किता 1	रकबा 0.0135 है0	
3	प्रेम देवी पत्नि अमोलकचन्द जैन हि. 1/2, रेखा पत्नि सुशील कुमार पाटनी हि. 1/2 जाति जैन सा. देह खातेदार	2632/3	0.1265	बा.1
		किता 1	रकबा 0.1235 है0	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना -अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(विकास पंचोली)
उपसहायक अधिकारी
हजरीवे/करीम



मूल वाद में अंतिम डिक्की
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. रतनी देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाट निवासी उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।

—वादीया

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री कन्हैयालाल जाति कलाल निवासी सोनी कवाडी के सामने सावर रोड केकडी
- राजेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति कलाल
3. विनोद कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति कलाल
4. भंवरी देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति कलाल
निवासीगण सांवरिया स्टोन के पीछे सापुन्दा रोड केकडी जिला अजमेर
5. प्रेम देवी पत्नि अमोलकचन्द जैन जाति जैन
6. रेखा पत्नि सुशील कुमार पाटनी जाति जैन
निवासीगण शिव मन्दिर के पास सापुन्दा रोड केकडी जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदया तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 246/2022 (2022/651)

निर्णय दिनांक:- 06.04.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री नवलकिशोर पारीक अधिवक्ता वादी, पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार केकडी हाजिर मुददावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके करबा केकडी तहसील केकडी की जमाबंदी संवत 2069-72 जमाबन्दी 2076 से स्थायी के खाता संख्या नया पुराना 1859-1502 के खसरा नम्बर 2632 रकबा 0.38 हैक्ट. किस्म बारानी 1 में निर्णय व प्रारम्भिक डिक्की दिनांक 06.12.2022 की पालना में तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादवर्गित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया गया-

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	रतनी देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति जाट सा. उगाई खातेदार	2632/1	0.2400	बा.1
		किता 1	रकबा 0.2400 है0	
2	भंवरी देवी पत्नि कन्हैयालाल, इन्द्रा, राजेन्द्र कुमार, विनोद कुमार पिता कन्हैयालाल जाति कलाल सा. देह खातेदार	2632/2	0.0135	बा.1
		किता 1	रकबा 0.0135 है0	



उपखण्ड अधिकारी
केकडी (बयवेर)

3	प्रेम देवी पत्नि अमोलकचन्द जैन हि. 1/2, रेखा पत्नि सुशील कुमार पाटनी हि. 1/2 जाति जैन सा. देह खातेदार	2632/3	0.1265	बा.1
		किता 1	रकबा 0.1235 है०	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... बाबत.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख
 वसूलयाबी तक..... को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.04.2023 को जारी की गई।

मुहर

दरदखत
 उपखण्ड अधिकारी
 कंकडी

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान.		
फीस कमिशनर.			फीस कमिशनर.		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट - इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

